आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.02.2020	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेटर केस नं0–69/2019** **नारायण महतो एवं अन्य –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य** दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अंतर्गत मौजा–लोहपिट्टी, मौजा सं0–319, खाता नं0–108, प्लॉट सं0–3014, 3021, 3107, 3030, रकवा–28.5 डी0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत् उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र एवं स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि उक्त भूमि का पूर्व में वर्ष 2014–15 के आधार पर निर्धारित कृषि दर 14,244.00 रू0 प्रति डी0 के मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। वर्त्तमान में वर्ष 2018 के अनुसार भूमि का कृषि दर 24,000.00 रू0 प्रति डी0 दर है। आवेदक द्वारा वर्त्तमान दर से भूमि का मुआवजा राशि का पुर्नमूल्यांकन कर भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जाँच करते हुए भूमि का वर्त्तमान दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तद्नुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। ह0/– 11/2/20 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित ह0/– 11/2/20 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner